



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07072022-237170
CG-MH-E-07072022-237170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2962]
No. 2962]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

रेल मंत्रालय
(पश्चिम रेलवे)
अधिसूचना

मुम्बई, 7 जुलाई 2022

का.आ. 3112(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4) में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में आणंद गोधरा दोहरीकरण परियोजना (78.80 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम स.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रांत अधिकारी, आणंद	आणंद, उमरेठ	आणंद
2	प्रांत अधिकारी, ठासरा	ठासरा, गलतेश्वर	खेड़ा
3	प्रांत अधिकारी, गोधरा	गोधरा	पंचमहल
4	प्रांत अधिकारी, सावली	देसर	वडोदरा

[फा. सं. ई-आफिस (E-291572-1)]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य अभियंता (निर्माण) II

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th July, 2022

S.O. 3112(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Anand Godhra (78.80 km) Doubling Project in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prant Officer, Anand	Anand, Umreth	Anand
2	Prant Officer, Thasra	Thasra, Galteshwar	Kheda
3	Prant Officer, Godhra	Godhra	Panchmahal
4	Prant Officer, Savli	Desar	Vadodara

[F. No. E-Office (E-291572-1)]

S. R. PRASAD, Chief Engineer /Construction-II